UPSB010010732026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र
पीठासीनः गोविन्द मोहन (एच0जे0एस0),(जे0ओ0 कोड नं0–2687),
दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–91/2026

स्वाती **बनाम** विकास यादव

थाना– शाहगंज, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

05.06.2026:–

आवेदिका स्वाती पुत्र राजकुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, ग्राम कुड़ी, पोस्ट राजगढ़, जनपद मीरजापुर की ओर से विपक्षीगण विकास यादव व निशा यादव के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 आदेशार्थ पेश हुआ। पूर्व तिथि पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना जा चुका है।

आवेदिका की ओर से विपक्षी के विरूद्ध संबंधित थाना को मुकदमा पंजीकृत कर विधि अनुरूप विवेचना के आदेश निर्गत किए जाने के आशय से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी0एन0एस0एस0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि–" प्रार्थिनी की दोस्ती राज यादव पुत्र रमेश यादव निवासी कुसरट पोस्ट शाहगंज जनपद सोनभद्र से वर्ष पहले हुई। प्रार्थिनी बराबर राज यादव के सम्पर्क में रहने लगी तथा एक दुसरे से शादी करना चाहते है। किन्तु राज यादव के घर वाले हम प्रार्थिनी को अनुसुचित जाति चमार होने के कारण प्रार्थिनी के साथ शादी नहीं करना चाहते। दिनांक 02.02.2026 को राजयादव के घर वाले राज यादव को बुरी तरह से मारे–पीटे थे, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थिनी राज यादव के घर ग्राम कुसरट गई, जहाँ पर राज कि माँ निशा देवी, भाई विकास यादव मिले। प्रार्थिनी को देखते ही राज कि माँ निशा व भाई विकास माधरचोद, रंडी, शाली, चमाईन हमारे घर आ गई, तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई, कहते हुए प्रार्थिनी को जबरजस्ती विकास यादव कमरे में ले जा कर बलात्कार किया, तब तक पूरे गाँव में शोर हो गया कि लड़की आई है, राज के घर पर सैकड़ो लोग इक्ट्ठा हो गये, तब जाकर विकास प्रार्थिनी को घर से बाहर निकाला और धमकी दिये कि अगर कही भी शिकायत की तो तुम्हे जान से मार दिया जायेगा, किन्तु प्रार्थिनी वहीं से 112 नम्बर पर फोन की, जिस पर 112 नम्बर व थाना शाहगंज कि पुलिस मौके पर आई और प्रार्थिनी को थाने ले गयी तथा विपक्षीगण को भी थाने बुलाई किन्तु विपक्षीगण थाने नहीं आयें, जब प्रार्थिनी राज के साथ राबर्ट्सगंज वापस जा रही थी, विपक्षीगण प्रार्थिनी व राज को शाहगंज चौकी के सामने जबरजस्ती टैम्पू रोककर उतार दिये एवं प्रार्थिनी व राज को बुरी तरह से मारते हुए चौकी के अन्दर तक मारे पीटे, जिस पर थाना शाहगंज की पुलिस आई, प्रार्थिनी एवं विपक्षीगण को थाने ले गई तथा अर्न्तगत धारा 126,135,170, बी०एन०एस०एस० में चालान कर दिया एवं प्रार्थिनी का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। थाना शाहगंज की पुलिस विपक्षीगण के प्रभाव में है। विपक्षीगण कभी भी प्रार्थिनी व राज की हत्या करा सकते है। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना दिनांक 06.02.2026 व 11.02.2026 को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को दिया, फिर भी विपक्षीगण के प्रभाव के कारण प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। प्रार्थिनी गरीब अनुसूचित जाति की असहाय लड़की है।" पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर यह

Digitally signed by GOVIND MOHAN
Date: 2026.06.05 13:19:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियॉ, जनसुनवाई में दिये गये प्रार्थना पत्र की स्लिप, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

प्रार्थना पत्र के प्रकाश में संबंधित थाना से आख्या आहूत की गयी। सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रकाश में सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में विपक्षी पर मुख्यतः यह आक्षेप लगाया गया है कि जब आवेदिका विपक्षी विकास यादव के घर गयी तो विपक्षीगण उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियॉ दिये कि उनके घर कैसे आ गयी, उसके उपरांत विपक्षी विकास यादव उसे कमरे में ले जाकर उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग कारित किया तथा आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी अशंका जाहिर की गयी है कि उसकी व उसके प्रेमी राज यादव की विपक्षीगण हत्या करा सकते हैं। प्रकरण अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्संग कारित किये जाने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियॉ व जान से मारने की धमकी दिये जाने से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथनों से मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के कारित होने का प्रकटन होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्मानित विधि व्यवस्था {सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2018)6 एस0सी0सी0 454 सुप्रीम कोर्ट} में यह विनिश्चियन किया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित मामले में पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व किसी भी प्रकार की प्रारम्भिक जॉच की अनुमति नहीं है। पुलिस को तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना होगा। तदोपरान्त ही किसी प्रकार की जॉच/विवेचना की जा सकेगी।

माननीय उच्च्तम न्यायालय के द्वारा अपने नवीनतम विधि व्यवस्था **{X.Y.Z बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 आन लाइन 2022 सुप्रीम कोर्ट 1262}** में यह विनिश्चयन किया गया है कि यदि पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध को कारित होने के सम्बन्ध में सूचना/शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस के पास अपने किसी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। संज्ञेय अपराध की सूचना पाने पर पुलिस के ऊपर यह बाध्यकारी है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे और मामले की विवेचना करेंगे। यदि विवेचनोपरान्त घटना असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।

प्रकरण अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्संग कारित किये जाने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियॉ व जान से मारने की धमकी दिये जाने से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथनों से मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के कारित होने का प्रकटन होता है।

तद्नुसार आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. स्वीकार किए जाने योग्य है।

—:आदेशः—

आवेदिका स्वाती की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाता है।

थानाध्यक्ष, थाना शाहगंज, जनपद सोनभद्र को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदिका के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करा कर संबंधित पुलिस अधिकारी से मामले की विवेचना कराना सुनिश्चित करें तथा विवेचना के परिणाम से न्यायालय को अवगत करावें।

(गोविन्द मोहन)

दिनॉक–05.06.2026 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र